भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2525

उत्तर देने की तारीख-15/12/2025

शिक्षकों की भर्ती और पुरानी पेंशन योजना की बहाली

2525. **श्री रमाशंकर बिद्यार्थी राजभर:**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केंद्र एवं राज्यों में शिक्षकों के लिए पुरानी पेंशन योजना की बहाली पर सरकार की वर्तमान नीति क्या है तथा इस संबंध में प्राप्त सुझावों और आयोजित बैठकों का ब्यौरा क्या है;
(ख) विभिन्न राज्यों में शिक्षकों की लंबित नियुक्तियों, कार्यग्रहण करने में विलंब की स्थिति तथा विज्ञापित पदों के अनुसार चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं देने का ब्यौरा क्या है;
(ग) उत्तर प्रदेश में 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती की वर्तमान स्थिति क्या है, अब तक कितने अभ्यर्थियों की नियुक्ति हो चुकी है तथा कितने मामले न्यायालय या विभाग में लंबित हैं;
(घ) क्या सरकारी शिक्षकों को अध्यापन के अतिरिक्त चुनाव, जनगणना, सर्वेक्षण कार्यों की ज़िम्मेदारी दी जाती है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ङ) शिक्षक पर कार्य-भार कम करने, गैर-शैक्षणिक कार्यों की सूची निर्धारित करने तथा देश में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा कौन-कौन से कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) से (ग): शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची का विषय है और अधिकांश स्कूल संबंधित राज्य और संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के प्रशासनिक नियंत्रण में हैं। भर्ती, पेंशन लाभों सहित सेवा शर्तें, शिक्षकों की तैनाती और इन मामलों से संबंधित न्यायिक मामले प्राथमिक रूप से राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आते हैं।

केंद्र सरकार द्वारा संचालित केंद्रीय विद्यालय संगठन के कर्मचारियों के लिए पेंशन लाभ समय-समय पर वित्त मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार निर्धारित किए जाते हैं। केंद्रीय विद्यालय संगठन के कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

नवोदय विद्यालय समिति के वे सभी कर्मचारी जिन्होंने दिनांक 01.01.2004 से पहले कार्यभार ग्रहण किया था, अंशदायी भविष्य निधि (सीपीएफ) योजना के अंतर्गत आते हैं। वे कर्मचारी जिन्होंने दिनांक 01.04.2009 को या उसके बाद नवोदय विद्यालय समिति में कार्यभार ग्रहण किया, वे अनिवार्य रूप से नई पेंशन योजना (एनपीएस) के अंतर्गत आते हैं। दिनांक 01.01.2004 और 01.04.2009 के बीच कार्यभार ग्रहण करने वाले कर्मचारियों को सीपीएफ या एनपीएस में से किसी एक को चुनने का विकल्प दिया

गया था। कुछ कर्मचारियों ने एनपीएस योजना को चुना जबकि अधिकांश ने सीपीएफ योजना का चयन किया। वर्तमान स्थिति में, नवोदय विद्यालय समिति के कर्मचारी अंशदायी भविष्य निधि (सीपीएफ) या नई पेंशन योजना (एनपीएस) में से किसी एक के अंतर्गत आते हैं।

(घ) और (ङ): नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 की धारा 27 में कहा गया है कि दस वर्षीय जनसंख्या जनगणना, आपदा राहत कार्यों या स्थानीय प्राधिकरण, राज्य विधानमंडलों या संसद, जैसा भी मामला हो, के चुनावों से संबंधित कार्यों के अतिरिक्त किसी भी शिक्षक को गैर-शैक्षणिक कार्य के लिए तैनात नहीं किया जाएगा। शिक्षा मंत्रालय ने सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को दिशानिर्देश भी जारी किए हैं जिनमें इस बात पर बल दिया गया है कि शिक्षकों को आरटीई अधिनियम के अनुसार निर्धारित कार्यों के अलावा किसी अन्य गैर-शैक्षणिक कार्य के लिए तैनात नहीं किया जाना चाहिए। सरकार ने शिक्षकों के कार्यभार को कम करने और शिक्षा की गुणवत्ता को सुदृढ करने के लिए कई उपाय किए हैं और इनमें उनकी सहायता करती है। इनमें शामिल हैं:

- केंद्र सरकार, समग्र शिक्षा की केंद्रीय प्रायोजित योजना के तहत, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र को उचित छात्र-शिक्षक अनुपात (पीटीआर) बनाए रखने और एससीईआरटी, डीआईईटी, बीआरसीएस और सीआरसीएस के माध्यम से सेवाकालीन प्रशिक्षण और संस्थागत शैक्षणिक सहायता सहित शिक्षक संबंधी कार्यकलापों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

- निष्ठा - स्कूल प्रमुखों और शिक्षकों के समग्र उन्नति के लिए राष्ट्रीय पहल (दिक्षा पर फेस-टू-फेस और ऑनलाइन) के माध्यम से बड़े पैमाने पर शिक्षक क्षमता निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिसमें शिक्षणशास्त्र, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का एकीकरण, योग्यता-आधारित अधिगम, मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान, विद्यालय नेतृत्व, स्वास्थ्य एवं कल्याण और संबंधित क्षेत्रों को शामिल किया गया है, जिससे कक्षा प्रक्रियाओं और शिक्षकों की व्यावसायिक क्षमता को सुदृढ किया जा सके।

- एनईपी 2020 के संदर्भ में, शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक (एनपीएसटी) मार्गदर्शक दस्तावेज और राष्ट्रीय मेंटरिंग मिशन (एनएमएम) पर ब्लूबुक जारी की गई है ताकि शिक्षकों की दक्षताओं को परिभाषित किया जा सके और सेवारत शिक्षकों को शिक्षण अभ्यास में सुधार करने और व्यावसायिक अलगाव को कम करने के लिए परामर्श सहायता प्रदान की जा सके।

- यह विभाग समय-समय पर परामर्श जारी करता है और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के साथ समीक्षा बैठकें आयोजित करता है ताकि मिशन-आधारित भर्ती योजनाओं, तर्कसंगत तैनाती जिसमें विद्यालय परिसर/समूहीकरण दृष्टिकोण शामिल हैं, जहां उपयुक्त हो शिक्षक-साझाकरण या पूलिंग तंत्र को अपनाना और शैक्षणिक हितों की रक्षा के लिए संविदात्मक/अल्पकालिक नियुक्तियों (जैसे शिक्षा मित्र/अनुदेशक) के अंतरिम उपयोग को प्रोत्साहित किया जा सके। इन उपायों को संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों/प्रशासनों द्वारा अपने नियमों के अनुसार कार्यान्वित किया जाता है।

- यह विभाग, संघ राज्य क्षेत्रों को शिक्षकों को मांग के अनुसार संसाधन और शिक्षण संबंधी सहायता प्रदान करने और कर्मचारियों की कमी के शैक्षणिक प्रभाव को यथासंभव कम करने के लिए, राज्यों/ सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी प्लेटफार्मों (दीक्षा/पीएम ई-विद्या) और क्लस्टर-स्तरीय शैक्षणिक सहायता (बीआरसी/सीआरसी) को अपनाने में सहायता करता है।

*****